भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2338

(दिनांक 07.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ सामुदायिक रेडियो का एकीकरण

2338. श्री कणाद पुरकायस्थ:

श्री मनन कुमार मिश्र:

श्रीमती सीमा द्विवेदी:

श्री शंभू शरण पटेल:

श्रीमती साधना सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन संचार योजनाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए बैकअप विद्युत व्यवस्था एवं आपातकालीन नयाचार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना संबंधी नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक रेडियो प्रसारण का मूल उद्देश्य सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) के सेवा क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय के हितों की पूर्ति करना है।

इसके अतिरिक्त, नीतिगत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्राकृतिक आपातस्थिति, प्राकृतिक आपदाओं, जनहित अथवा अन्य समान परिस्थितियों से उत्पन्न

आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी विशेष संदेश के प्रसारण हेतु सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को निर्देश जारी करे तथा ऐसे मामलों में अनुज्ञाधारी इन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

नीतिगत दिशा-निर्देश सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को नागरिक सुविधाओं, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सूचनाओं से संबंधित सार्वजनिक घोषणाओं का प्रसारण करने की भी अनुमति प्रदान करते हैं।

तदनुसार, सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समयबद्ध एवं विश्वसनीय सूचनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों की, विशेषकर बाढ़-संभावित, तटीय तथा अन्य आपदा-संवेदनशील क्षेत्रों में सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सिद्ध उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए, मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागों के प्रशासनिक सचिवों को पत्र प्रेषित कर उनसे अनुरोध किया गया कि वे आपदा संबंधी सूचनाओं के प्रसार के लिए इस प्रभावी माध्यम का उपयोग करें तथा ऐसे क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु उनकी पहचान करें।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता" नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम को वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के दौरान ₹50 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य नए एवं विद्यमान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सुदृढ़ करना है जिसके लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें आपात स्थितियों के दौरान प्रसारण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यूपीएस, जनरेटर सेट तथा सौर ऊर्जा प्रणालियों जैसे बैकअप विद्युत उपकरण भी शामिल हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत बाढ़, वज्रपात, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में कार्यरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को ₹11.50 लाख तक का आपातकालीन अनुदान प्रदान करने का भी प्रावधान है।
